प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 21.02.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा लडकी के अश्लील वीडियो/फोटो वायरल करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 21.02.2025 को अशोक वाटिका, गाजियाबाद निवासी वादिया/ पीडिता द्वारा सूचना दी कि मेरे पडोस में रहने वाला शहनवाज नाम का व्यक्ति जो मुझ पर गन्दी नजर रखता था उसने धोखे से मुझे पानी में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए थे। जिसकी उसने वीडियो व फोटो बना ली थी । शहनवाज ने मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जिसका मैनें विरोध किया । मेरी शादी होने के बाद भी शहनवाज लगातार मुझे जान से मारने व वीडियो /फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त को लोनी से राजनगर एक्सटेंशन जाने वाले रास्ते पर रोटरी गोलचक्कर के पास करहैडा पुल पर गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पडोस में ही रहती थी ,मै उसको पसंद करता था । तथा उससे बातचीत करने लगा था फिर एक दिन मौका पाकर मैं उसके घर पहुंच गया था मैनें पानी में नशे/नींद की गोली घोलकर पानी पिला दिया था तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये जिसकी मैनें वीडियो व फोटो बना लिये थे । जिसे दिखाकर मै उसके साथ दबाव में शारीरिक संबंध बनाता था। मैनें शादी/निकाह का प्रस्ताव भी रखा था लेकिन उसने मना कर दिया था। वादिया अपनी शादी नन्दग्राम क्षेत्र में सेवानगर में ही कर ली थी । मुझे पता चलने पर मैं उसकी ससुराल आया था तथा उसके अश्लील वीडियो व फोटो व्हाट्सएप्प/इन्स्टाग्राम पर न डालने के लिए एक लाख रूपये मांगे थे तो उसने मना कर दिया था तथा मुझसे शादी भी नहीं की न ही रूपये दिये तो गुस्से में आकर मैनें उसके अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिये थे।

अभि0 का नाम व पता--

शहनवाज पुत्र हाकम निवासी इदगाह कालोनी जनपद हापुड उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

शहनवाज उपरोक्त के विरूद्ध एक अभियोग मारपीट संबंधी थाना कोतवाली जनपद हापुड व एक अभियोग आईटी एक्ट व दुष्कर्म संबंधी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी व 01 तमंचा देशी .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खाली खोखा .315 बोर बरामद।

दिनांक 20.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान आवास विकास की तरफ से एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको चेक करने के लिये रूकने का इशारा किया गया तो स्कूटी व मोटरसाईकिल पर सवार चारों संदिग्ध भागने लगे, संदिग्ध होने का आशंका में घेरघार कर रोक लिया गया। नाम पता पूछा गया तो बाईक सवार संदिग्धों ने अपना नाम सारिक पुत्र नसीम नि0- डाबर तालाब निकट शमशान घाट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष व अमन पुत्र कय्यूम नि0- डाबर तालाब निकट हाजी होटल थाना लोनी गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष बताया तथा स्कूटी स्वार संदिग्धों ने अपना नाम सैफ पुत्र आस मौहम्मद नि0- डाबर तालाब संगम विहार लोनी गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष व रहमान पुत्र मोमीन नि0- डाबर तालाब निकट हाजी नाहरी होटल थाना लोनी गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष बताया। बरामद मो0सा0 रजि0 नं0- DL 5S CK 6871 की चोरी के संबंध में E- पुलिस स्टेशन MV Theft क्राइम ब्रांच दिल्ली में F.I.R. नं0- 004329 पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मो0सा0 स्प्लेंडर , 01 अदद TVS एन टर्क स्कूटी व 01 अदद तमंचा देशी .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खाली खोखा .315 बोर बरामद होने के आधार पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा 317 (2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण----

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोगो से जो मोटरसाईकल व स्कूटी बरामद हुयी है वह हमने दिल्ली से चोरी की थी। हम चारों मिलकर मौका देखकर दुपहिया वाहनों की चोरी कर उनको राह चलते लोगों को बेच देते हैं उसे जो पैसे मिलते हैं उसको आपस में बराबर बाँटकर अपने शौक पूरे करते हैं। आज हम फैक्ट्री एरिया व आसपास के क्षेत्र में सुनसान रास्तों पर चल रहे व्यक्तियों से मौका देखकर मोबाइल आदि छीनने के चक्कर में घूम रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया। हमारे पास से जो तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है, इसे हम लोगों को डराने के लिए व अपने बचाव के लिए साथ लेकर चलते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सारिक पुत्र नसीम नि0- डाबर तालाब निकट शमशान घाट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष
2. अमन पुत्र कय्यूम नि0- डाबर तालाब निकट हाजी होटल थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र-19 वर्ष
3. सैफ पुत्र आस मौहम्मद नि0- डाबर तालाब संगम विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र-20 वर्ष
4. रहमान पुत्र मोमीन नि0- डाबर तालाब निकट हाजी नाहरी होटल थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र-19 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सारिक व रहमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी, दिल्ली क्राईम ब्रांच पर चोरी / बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अमन व सैफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी, लोनी,दिल्ली क्राईम ब्रांच पर चोरी / बरामदगी के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की 01 अदद मो0सा0 स्प्लेंडर नम्बर DL 5S CK 6871
- 01 अदद TVS स्कूटी नम्बर DL 5S CT 4626
- 01 अदद तमंचा देशी .315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खाली खोखा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित दो अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के कब्जे से आला कत्ल (कटर ब्लेड) व मृतक का लोवर खून लगा हुआ व मृतक की चैक बुक का कवर, आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षरित व 20000/- रूपये बरामद।

दिनांक 18.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर अभि0 अंकित पुत्र पप्पु नि0 राजीव गार्डन गली न0 4 संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर व उसके अन्य अज्ञात साथियों द्वारा बिजनेश की रंजिश को लेकर वादिया के पति की हत्या कर देने तथा वादिया के पति के शव को अपने घर के नीचे के कमरे में गड्ढा खोदकर दबा देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/238 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। दिनांक 19.02.25 को अभियुक्त अंकित पुत्र पप्पू पांचाल निवासी गली नं0 04 राजीव गार्डन संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 21.02.25 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.करन पुत्र अनिल कुमार निवासी कान्हा पब्लिक स्कूल के पास गुप्ता जनरल स्टोर संगम विहार थाना लोनी बार्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष। 2. मन्नू उर्फ मनोज कुमार पुत्र स्व0 जमनादास निवासी पथवारी मन्दिर के पास सुशील नगर नुनहाई थाना एतमादौला जनपद आगरा उम्र 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से आला कत्ल (कटर ब्लेड) व मृतक का लोवर खून लगा हुआ व मृतक की चैक बुक का कवर, आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षरित व 20000/- रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त करन ने पूछने पर बताया कि अंकित मेरा दोस्त है। अंकित दीपक (मृतक) के साथ काम करता था मैने भी कुछ समय दीपक व अंकित के साथ पीवीसी फोल सिंलिंग का काम किया था। अंकित को दीपक का खाता व मोबाईल के पासवर्ड व ए0टी0एम0 पासवर्ड आदि के बारे पूरी जानकारी हो गई थी। अंकित ने मुझे बताया था कि दीपक के खाते में काफी पैसा है हम लोग मिलकर दीपक की हत्या करके उसका पैसा निकाल सकते हैं और अंकित ने कहा कि एक व्यक्ति की और आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि मेरी बुआ का देवर मन्नू जो कि आगरा में रहता हैं को फोन करके बुला लेते हैं मैंने मन्नू को सारी बात बताई और कहा यह काम करने में अच्छा पैसा मिल जायेगा तब उससे आने के लिए कहा तो मन्नू तैयार हो गया और फिर उसके आने के बाद मन्नू भी हमारे पास आ गया फिर योजना के अनुसार मन्नू को बुलाया तो मन्नू अपने हाथ मे लोहे की सब्बल लेकर ऊपर वाले कमरे में आय़ा और आते ही उसने दीपक के पीछे से सिर में सब्बल से वार कर दिया और कटर ब्लेड से दीपक के गर्दन के पीछे की तरफ से ब्लेड मारा था तथा पहले से तैयार कमरे में खुदे गढ्ढे में हम तीनों नें दीपक की लाश को रख दिया था और हम तीनो नें उसके शरीर पर योजनानुसार पहले से लाये हुए नमक को डाल दिया था और उसके शरीर पर मिट्टी डालकर दबा दिया था। तथा उस पर हम लोगो नें पहले से उसी तरह के टायल्स लाकर रखें थें जिन्हें हम लोगो नें ही मसालें से जोड दिया था और उसके ऊपर डबल बेड पहले की ही तरह रख दिया था। और कमरा बन्द कर दिया था उसके बाद हम तीनों गाजियाबाद की ओर चले गये थे जहां पर एक ए0टी0एम0 से अंकित ने दीपक के ए0टी0एम0 से रूपये निकाले थे। निकाले गये रूपयों में से अंकित नें मुझे 15000/- रूपयें व दीपक की चैक बुक का कवर देते हुए कहा था कि इसे सम्भाल कर रखना पैसे निकालने में जरूरत पडेगी तो तब देना तथा मन्नू को 5000/- रूपये दिये और अंकित द्वारा कहा गया कि बाद में हम लोग जल्दी मिलेंगे तथा दीपक के खाते से बाकी रूपया निकालकर आपस में बांट लेंगे। और हम लोगो को जाने के लिए कह दिया। आज मैं व मन्नू अंकित से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे क्योंकि अंकित से हम लोगो की दो तीन दिन से कोई बात नही हो पा रही थी, इस कारण हम लोग अंकित से मिलने जा रहे थे कि तभी आप लोगो नें पकड लिया हमारे पास से जो 20,000/-रूपया मिले हैं ये वही रूपये हैं जो अंकित नें दीपक के ए0टी0एम0 से निकालकर हमें दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.करन पुत्र अनिल कुमार निवासी कान्हा पब्लिक स्कूल के पास गुप्ता जनरल स्टोर संगम विहार थाना लोनी बार्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

2.मन्नू उर्फ मनोज कुमार पुत्र स्व0 जमनादास निवासी पथवारी मन्दिर के पास सुशील नगर नुनहाई थाना एतमादौला जनपद आगरा उम्र 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (कटर ब्लेड) व मृतक का लोवर खून लगा हुआ व मृतक की चैक बुक का कवर, आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षरित व 20000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.02.2025 की रात्रि में वादिया ने एक तहरीर अपनी नाबालिक बेटी जो एक साल से अपने मौहल्ले में रहने वाले अभियुक्त केशव शर्मा के साथ रिलेशन में थी, अभियुक्त केशव शर्मा द्वारा आवेदिका की बेटी की अश्लील विडियो बनाना तथा रिलेशन में रहने को लेकर पीडिता को ब्लैकमेल करना और अश्लील विडियो आवेदिका की सहेली को भेज देना तथा सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देना और आवेदिका की पुत्री के साथ सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 65(1)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व ¾ पोक्सो अधि0 व 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठित की गई। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियुक्त केशव शर्मा पुत्र कमल शर्मा नि0- डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष को डीएलएफ कट, थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पीडिता और मैं हम दोनों एक ही मौहल्ले में रहते है। पिछले करीब 01 साल से हम दोनों रिलेशन में थे। इसी दौरान मैने पीडिता की अश्लील विडियो व फोटो भी बना ली थी। अब जब पीडिता मेरे साथ रिलेशन में रहने से मना करने लगी तो मैने उसकी विडियो पीडिता की मां की सहेली को भेजी थी तथा सोशल मीडिया में भेजने की भी धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

केशव शर्मा पुत्र कमल शर्मा निवासी डीएलएफ थाना अंकुर विहार गा0बाद, उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा लड़की का पीछा करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण एवं कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.02.25 को वादी श्री मनोज पुत्र सत्यपाल निवासी सिकरोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने एक अज्ञात कार सवार द्वारा वादी की पुत्री का स्कूल जाते समय पीछा करने तथा गाली गलौच करते हुए गाड़ी में बैठने हेतु धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर लिखित तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिहानीगेट पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो कैमरे में एक स्विफ्ट गाड़ी का नम्बर मिला जिसके आधार पर गाड़ी के ड्राइवर अरविन्द पुत्र सुखबीर सिहं निवासी ग्राम धेता मोहम्मदपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उक्त स्विफ्ट गाड़ी किराये पर चलाई जाती है। अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः-

अरविन्द पुत्र सुखबीर सिंह नि0-ग्राम धेता मोहमम्दपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम